

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सामा. 501)/2019/ दिनांक:-

:-आदेश:-

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र सं	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति दिनांक
1	श्रीमती थनकमणी ए0	क.रा.बी. औष0 न0 9, जयपुर	08.05.1959	19.07.1982	31.05.2019
2	श्रीमती सुसम्मा चाकौ	क.रा.बी. औष0 न0 7, जयपुर	24.05.1959	10.12.1985	31.05.2019

इनके विरुद्ध:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

8/-

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक ई-20/म0स्वा0कार्य0/(सामा. 501)/2019/ 591 दिनांक:- 9/4/19  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
3. उप निदेशक, ई.एस.आई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क.रा.बी. औष0 न09/07 जयपुर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

7

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर